अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

वर्षः 19 | अंकः 52 | आगरा, शनिवार 01 अगस्त 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दूसरे मजदूर की भी मौत

जम्मू(ए)। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के कीलम इलाके में शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे दोनों की मौत हो गई। हमले के दौरान एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल मजदूर को तुरंत बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, शनिवार को इलाज के दौरान दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें प्रारंभिक जांच में बताया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निशाना बनाया था।

यह हमला पिछले 10 दिनों के भीतर दक्षिण कश्मीर में दूसरी बड़ी आतंकी घटना है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक जवान की आतंकवादियों ने करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद, कुलगाम के कीलम में अपनी आजीविका कमाने आए बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया गया।

कश्मीर घाटी में गैर-स्थानीय या प्रवासी मजदूरों पर लगभग दो साल में यह पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2024 को शोपियां जिले के वाची इलाके में बिहार के बांका जिले के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की अज्ञात आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से फोन पर बात की और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियानों को तेज करने तथा दोषियों को जल्द से जल्द खत्म करने का सख्त निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं और पूरा देश इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस जघन्य हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि ये मजदूर अपने परिवारों का पेट पालने के लिए अपने घरों से बहुत दूर आकर कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे निर्दोष लोगों को हिंसा की बेमतलब की घटनाओं में निशाना बनाना अकल्पनीय रूप से क्रूर और कायरतापूर्ण हरकत है। फिलहाल पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है।

सितंबर में ब्रिक्स समिट में मिलेंगे दुनिया के पॉवरफुल लोग, अमेरिका की धड़कनें हुई तेज?

इन बैठकों में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, वैश्विक हालात जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली,(ए)। भारत सितंबर में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। इस मंच पर दुनिया के पावरफुल देश शामिल होंगे। इसमें पीएम मोदी की मौजूदगी तो होगी ही साथ ही कई दिग्गज नेता बैठक करेंगे। ये वो वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना विरोधी मानते हैं। अमेरिका के ये तीन दुश्मन देश हैं- रूस, चीन और ईरान।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट है। इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल होंगे। जब ये तीनों वर्ल्ड लीडर भारत में एक मंच पर मिलेंगे तो अमेरिका की धड़कन बढ़ जाएगी। यह समिट ऐसे समय में हो रही है, जब पश्चिम एशिया में तनाव है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच भी लड़ाई जारी है। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि इस मंच से क्या संदेश निकलता है। अमेरिका भी इस पर नजर जमाए रखेगा। बता दें शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पेजेश्कियन के साथ पीएम मोदी की अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। इन बैठकों में कारोबार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, वैश्विक हालात और क्षेत्रीय तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिका की नजर सबसे ज्यादा ईरान और चीन पर होगी। गौरतलब है कि भारत और चीन के रिश्ते काफी समय से तल्ख रहे हैं। अब जमी बर्फ पिघलने लगी है। भारत-चीन लगातार अपने संबंध सुधार रहे हैं। अगर शी जिनपिंग सितंबर में भारत आते हैं तो बीते 7 साल में शी जिनपिंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिका को डर है कि कहीं ये देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ कोई नया गठजोड़ न बना लें। रूस और ईरान पर अमेरिका लगातार सैंक्शन लगा रहा है। ये दोनों देश इस समय अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव का सामना कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया के हालात को लेकर तनाव बना हुआ है। ऐसे में अगर भारत इन देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करता है तो यह अमेरिका की रणनीतिक नजर में अहम घटनाक्रम होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की यात्रा भी कई मायनों में अहम होगी। वह पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भारत को विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही दोनों देश ऊर्जा, व्यापार और चाबहार बंदरगाह परियोजना जैसे मुद्दों पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ सालों में भारत-ईरान व्यापार प्रभावित हुआ है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब पश्चिम एशिया में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। संगठन के भीतर फिलिस्तीन और दो-राष्ट्र समाधान को लेकर भी अलग-अलग राय सामने आई है। माना जा रहा है कि भारत इन मतभेदों को कम करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत पांच साल बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

आंदोलनकारियों पर गोली चलान के आदेश का क्या है कानून

केंद्रीय मंत्री बोले थे- आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देता है

नई दिल्ली,(ए)। कॉक्रोच जनता पार्टी और युवाओं के आंदोलन की गूंज आज भी संसद की चर्चा में सुनाई दे रही है। आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हुआ बल प्रयोग और गोली बारी की कार्रवाई गृह मंत्री के आदेश पर हुई। उनके आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में जानकारी दी कि घटना में गोली चलाई ही नहीं गई, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को यह पता होना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं, मजिस्ट्रेट देता है।

दरअसल देश में 1 जुलाई 2023 से नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की मूल प्रशासनिक संरचना जो पहले की पुराने प्रावधानों की जगह अब इसके प्रावधानों से नियंत्रित होती है। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस पर होती है। किसी गंभीर दंगा या हिंसक भीड़ की स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका अहम होती है। जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस को जरुरी कार्रवाई के निर्देश दे सकता है।

कानून का उद्देश्य पहले न्यूनतम बल का प्रयोग करना है। घातक बल अंतिम विकल्प माना जाता है। अर्थ यह कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सामान्य कानूनी व्यवस्था आंदोलन या दंगा होने की हालत में किसी मंत्री को सीधे गोली चलाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई गैर-कानूनी सभा, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, पुलिस द्वारा नहीं हटाई जा सकती, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सशस्त्र बलों की सहायता से उसे तितर-बितर किया जा सकता है।

भारतीय कानून और पुलिस मैनुअल का मूल सिद्धांत है कि बल का प्रयोग क्रमिक होना चाहिए। सबसे पहले समझाइश, चेतावनी और भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद बैरिकेड, वाटर कैनन, आंसू गैस और अन्य गैर-घातक उपाय अपनाए जाते हैं। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए और जन-जीवन पर गंभीर खतरा महसूस हो, तभी ज्यादा कठोर उपायों पर विचार किया जाता है। हरेक कार्रवाई जरुरत और अनुपात के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। बाद में ऐसी कार्रवाई न्यायिक और प्रशासनिक जांच के दायरे में भी आ सकती है। यदि दंगा या उसके जैसी गंभीर स्थिति में मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव न हो, तो सशस्त्र बल का कोई भी राजपत्रित अधिकारी स्वयं भी उस जमाव को तितर-बितर कर सकता है और इसके लिए बल प्रयोग कर सकता है, यदि वह जरुरत समझे।

किसी मंत्री द्वारा सीधे गोली चलाने का आदेश देने का सामान्य वैधानिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी को शायद भारतीय कानून की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि संसद में सरकार ने भी प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला दिया। इस बहस के मद्देनजर यदि हम राजनीतिक आरोपों और सफाई से अलग यदि केवल कानून की बात करें तो बीएनएसएस और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था यह स्पष्ट तरीके से बताती है कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाने जैसा निर्णय किसी मंत्री का सामान्य वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस की विधिक भूमिका प्रमुख होती है तथा बल प्रयोग हमेशा आवश्यकता, अनुपात और वैधानिक प्रक्रिया के अधीन होता है।

ट्रंप की नई नीति पर, पूर्व राजनयिक, भारत को थोड़ी दिक्कत होगी.....लेकिन

नई दिल्ली,(ए)। अमेरिका द्वारा विदेशी छात्रों पर एक नया शुल्क लगाने के प्रस्ताव ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। प्रस्तावित नीति के तहत, जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख रुपये का भारी शुल्क देना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से अमेरिका में फिलहाल पढ़ रहे 3 लाख 60 हज़ार से अधिक भारतीय छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते है। जिनके करियर योजनाओं पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।

इस मामले पर पूर्व राजनयिक कंवल सिब्बल ने अमेरिका के दोहरे रवैये पर अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अमेरिका अन्य देशों से अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोलने की अपेक्षा करता है, लेकिन खुद अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करने की दिशा में बढ़ रहा है। पूर्व राजनयिक सिब्बल ने कहा कि इस नीति के कारण अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में और गिरावट आएगी।

सिब्बल ने जोर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में संबंध दोनों देशों के बीच एक मजबूत द्विपक्षीय कड़ी का काम करते हैं, और इस तरह के कदम का समय के साथ भारत-अमेरिका संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इससे भारत के प्रभावशाली वर्गों के बीच अमेरिका की राजनीतिक पैठ कम होगी। सिब्बल के अनुसार, अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता को देखकर किसी भी क्षेत्र में अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता भारत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंततः भारत के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि इससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में कुल अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से 30.8 प्रतिशत सिर्फ भारत से हैं। भारत लगातार दूसरे वर्ष अमेरिका में सबसे अधिक छात्र भेजने वाला देश बना हुआ है, जिसने पहले चीन को पीछे छोड़ दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 57 प्रतिशत भारतीय छात्र साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस नई फीस नीति के प्रत्यक्ष निशाने पर आ जाएंगे।

रुचिका सिंह मामले में पुलिस कार्रवाई पर गरमाई बहस

नई दिल्ली (ए)। दिल्ली में नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में 25 वर्षीय रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज जीरो एफआईआर का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस घटनाक्रम में, सामाजिक कार्यकर्ता सौरव दास खुलकर रुचिका सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दास ने लिखा कि एक युवती के खिलाफ आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अभद्र भाषा अपने आप में किसी आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनती। उन्होंने जोड़ा कि लोकसभा के लगभग 50 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें करीब 100 सांसद भाजपा के हैं, और पुलिस को अपनी ऊर्जा उनके मामलों पर लगानी चाहिए, न कि एक युवा महिला के पीछे पड़कर उसका उत्पीड़न करना चाहिए।

यह पूरा मामला 23 जुलाई 2026 का है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा था। तभी रुचिका सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करती दिखीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि युवती द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है और इससे समाज में वैमनस्य फैलने तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है।

शिकायत के आधार पर 29 जुलाई 2026 को थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि घटना दिल्ली के संसद मार्ग थाना क्षेत्र में हुई थी, इसलिए जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरा मामला आगे की जांच के लिए संसद मार्ग थाने को भेजा गया है।

एफआईआर में कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे उनके संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची और समाज में दुर्भावना फैल सकती है। दास की टिप्पणी के बाद, यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक विरोध और आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल की अनुपातिकता को लेकर भी एक नई बहस का विषय बन गया है।

मुस्लिम युवक ने 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठाई, भगवान शिव की भक्ति में डूबा शाकिर

मेरठ(ए)। श्रावण मास के पवित्र महीने में चारों ओर गूंजते हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच मेरठ के फलावदा कस्बे ने मजहब और सरहदों की दीवारों को पार कर सच्ची मानवता और सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। मोहल्ला होली चौक निवासी मंजूर के 22 वर्षीय बेटे शाकिर ने यह साबित कर दिया है कि निष्ठा और भक्ति किसी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले और मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले शाकिर का भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास बीते तीन वर्षों से लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष उसने हरिद्वार से 101 लीटर गंगाजल लाकर स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक किया था, वहीं इस वर्ष उसने 201 लीटर पवित्र गंगाजल की विशाल कांवड़ उठाई है। सनातन परंपरा में महादेव को करुणा और समरसता का प्रतीक माना जाता है। शाकिर की यह कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का मजबूत संदेश दे रही है।

राम मंदिर में दान पेटियों की अब होगी 360 डिग्री वीडियोग्राफी

अयोध्या,(ए)। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी सुरक्षा और सर्विलांस व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है। मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं द्वारा दिए जा रहे दान में पूर्ण पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए 25 जुलाई से दान पेटियों के प्रबंधन से लेकर गिनती तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी शुरू कर दी गई है।

ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। मंदिर परिसर और दान पेटियों के पास 360 डिग्री और एसएलआर कैमरे लगाए गए हैं, जो चप्पे-चप्पे की पल-पल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो पेशेवर फोटोग्राफरों को भी तैनात किया गया है। बदलाव के तहत अब पहले की तरह एक साथ कई दान पेटियां नहीं खोली जाएंगी। नई व्यवस्था के अनुसार, प्रतिदिन केवल एक ही दान पेटी खोली जाएगी। न्यास के महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि एक दान पेटी खाली करने से लेकर उसे गणना कक्ष तक ले जाने और सील करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। दान की गिनती का काम भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की अनिवार्य मौजूदगी में संपन्न होगा। निगरानी टीम में बैंक के दो कर्मचारी, न्यास के दो प्रतिनिधि, दो निजी सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी शामिल रहेंगे। जब एक दान पात्र की गिनती पूरी हो जाएगी और एसबीआई के अधिकारी उसे सील कर देंगे, तभी दूसरा बॉक्स खोला जाएगा।

एक लाख जहाजों में लगेंगे ट्रांसपोंडर, मछुआरों के सीमा पार करने पर करेगा अलर्ट

इसरो ने समुद्री मछली पकड़ने वालों की मदद के लिए नभमित्र एप्लीकेशन भी बनाया

नई दिल्ली,(ए)। समुद्री मछली पकड़ने वाले एक लाख जहाजों में जल्द ही वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (वीसीएसएस) के तहत ट्रांसपोंडर लगाए जाने की तैयारी है। यह सिस्टम खराब मौसम में मछुआरों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे बचाव दल अपने जहाजों का पता लगा सकेंगे। इतना ही नहीं यह मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों को गलती से पड़ोसी देशों की सीमा में जाने से रोकने के लिए अलर्ट भी करेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत वीसीएसएस के लिए नेशनल रोल-आउट प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 364 करोड़ रुपए है। मछली पकड़ने वाले जहाजों पर ट्रांसपोंडर लगाने के अलावा इस प्रोजेक्ट में जरूरी अर्थ स्टेशन और उससे जुड़े कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और क्षेत्रीय भाषाओं में नभमित्र एप्लीकेशन बनाना शामिल है।

प्रोजेक्ट के तहत योग्य मछुआरों को ट्रांसपोंडर मुफ्त में दिए जाते हैं। इसे केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के हिसाब से लागत शेयरिंग के आधार पर लागू किया जाना है। केंद्रशासित प्रदेशों को 100 फीसदी केंद्रीय मदद दी जाएगी। वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को इसरो ने समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी, कंट्रोल और निगरानी के लिए बनाया है। इसरो की ओर से समुद्री मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए नभमित्र एप्लीकेशन बनाया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कुल 1,547 नोटिफाइड सेंटरों में से 423 फिश लैंडिंग सेंटरों (एफएलसी) पर इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई गई है। एफएलसी को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए माना जाता है, जिसमें मछली पकड़ने वाले जहाजों की संख्या, सेंटर पर निर्भर मछुआरों की संख्या, मछली पकड़ने की मात्रा, मछली बाजारों और प्रोसेसिंग सेंटरों से नजदीकी और दूसरी स्थानीय जरूरतें शामिल हैं, जिसमें टेक्नो-फाइनेंशियल वायबिलिटी और कानूनी नियमों का पालन करने के साथ-साथ फाइनेंशियल रिसोर्स की उपलब्धता शामिल है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा एफएलसी 350 आंध्र प्रदेश में हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 301 और केरल में 204 हैं।